

आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। ऊक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खतार संख्या	संख्या	खातेदार का नाम	खतार संख्या	संख्या
जलपुरा	38	लक्ष्मण अली खां पुत्र मल्लू खां हि० 1/2 जाति सायद (बानी)	डिग 5 292	2-14	लक्ष्मण अली खां पुत्र मल्लू खां हि० 1/2 जाति सायद (बानी)	डिग 5	2-14

[Signature]
शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त, जिला कलेक्टर, डीडवाना)

दिनांक :- 16/11/21

क्रमांक :- 932

प्रतिनिधि पालनाथ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

[Signature]
शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त, जिला कलेक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिनिधि पालनाथ :-

1. पालनाथ संख्या **वेरी खुर्द** को भावकर लेना है कि अन्य सामग्री का रखरखाव नहीं हो जा निवेदन करने पर पालनाथ सुनिश्चित करे।

उप तहसीलदार, मौलासर